दिनांक 12/9/25 को पेश हों।

12.09.25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी व प्रार्थी के नाम से अलग-अलग समय पर न्यायालय समय में तीन बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं स्वयं प्रार्थी अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र 'अदम पैरवी' व 'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Yasharth Shekhar
Date: 2025.10.25 12:46:24 IST
Reason: SelfAttested